तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **देवीदयाल बनाम राजेन्द्र** **मु0नं0 01/2021**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.02.2021	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। यह नजरसानी याचिका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर दिनांक 30.12.2020 अन्तर्गत अपील संख्या 17/2020 उनवान राजेन्द्र बनाम देवीदयाल से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा पेश की गई है। नजरसानी याचिका प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बइस सुनी गई। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान नजरसानी याचिका मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मृतक तुलसीदास के कानूनी उत्तराधिकारी की सम्पूर्ण जानकारी माननीय न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद होन एवं स्वयं अपीलार्थी राजेन्द्र द्वारा अपनी अपील के पैरा संख्या 2/3 पेज 4 पर अंकित किया है कि सरवती बैवा तुलसीदास की मृत्यु होने के बाद उसके हक में आयी विरासत का इन्तकाल संख्या 1369 दिनांक 20.01.2005 को पुत्रियो माया व शुकन्तला के नाम भी तस्दीक किया गया। जिससे स्पष्ट हो गया कि मृतक तुलसीदास की विरासत का नामान्तकरण 887 दिनांक 02.10.1999 गलत तस्दीक किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष दो आदेशो के विरूद्ध एक अपील किये जाने से अपील पोषणीय नही थी और रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा आपत्ति एवं कानूनी नजीरे प्रस्तुत की गई । लेकिन उपरोक्त कथन को निर्णित किये बिना ही प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष तुलसीदास की ग्राम बुरहेडा स्थित आराजीयत के संबंध में पारित निर्णयो की प्रतिया पत्रावली पर मौजूद होने के पश्चात भी माननीय न्यायालय द्वारा उन पर अवलोकन किये बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरसत किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय ने राजेन्द्र को समुचित सुनवई का अवसर प्राप्त नही होने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय को विधि के परिपेक्ष्य में उचित नही होना अंकित करते हुये प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी अवस्था में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित किया जाकर पुनः सुनवाई कर युक्तियुक्त निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। अपीलार्थी स्वयं राजेन्द्र द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.02.2014 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 प्रस्तुत किये जाने और उपरोक्त प्रार्थना को दिनांक 20.03.2018 द्वारा निर्णित किये जाने के पश्चात भी उपरोक्त आदेश की अपील प्रस्तुत न कर पूर्ववर्ती आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो जानकारी के दिन से भी स्पष्ट मियाद बाहर अपील थी जिसके संबंध में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किये बिना ही प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमायी जाकर प्रश्नाधीन निर्णय माननीय न्यायालय दिनांक 30.12.2020 को निरस्त फरमया जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा दिनांक 18.02.2014 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करे। अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत एक अपील उपखण्ड	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

देवीदयाल बनाम राजेन्द्र

मु0नं0 01/2021

तारीख हुक्म	
	अधिकारी तिजारा जिला अलवर के निर्णय दिनांक 18.02.2014 व आदेश दिनांक 20.03.2018 के खिलाफ प्रस्तुत की गइ थी। उक्त अपील में माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुनकर निर्णय दिनांक 30.12.2020 से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर दिनांक 18.02.2014 निरस्त करते हुये प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 887 वाके ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर दिनांक 02.10.1999 बहाल रखा गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर का आदेश दिनांक 20.03.2018 भी स्वतः ही प्रभावहीन रहने के आदेश पारित किये गये थे। उनका कथन है कि माननीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2020 पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नही है। उनका कथन है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध केवल उसी स्थिति में रिव्य प्रार्थना पत्र पेश की जा सकती है जब यथोचित परिश्रम (Due diligence) करने के उपरान्त भी पूर्व में कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज जिससे कि निर्णय प्रभावित होता हो, प्रस्तुत नही किया जा सका था एवं उक्त दस्तावेज अब प्राप्त होने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्यथा रिव्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता है। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पारित निर्णय दिनांक 30.12.2020 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 86(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा की उपधारा 3 में प्रावधान किया गया है कि रिव्यू प्रार्थना पत्र सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में वर्णित आधारो पर प्रस्तुत किया जा सकता है। आदेश 47 नियम 1 के अनुसार किसी निर्णय को रिव्यू किया जा सकता है यदि न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में "Mistake or an error apparent on the face of record" हो। हस्तगत निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा के समक्ष भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के आदेश दिनांक 18.02.2014 बाबत नामान्तकरण संख्या 887 ग्राम टपूकडा दिनांक 02.10.1999 तथा आदेश दिनांक 20.03.2018 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष दो आदेश दिनांक 18.02.2014 एवं दिनांक 20.03.2018 के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई है जो विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत पोषणीय नही है। रिव्यू अधीन निर्णय में न्यायालय हाजा द्वारा इस विधिक प्रावधान की अनुपालना नही की गई है जो कि "An error apparent on the face of record" की श्रेणी में आता है जैसा कि न्यायिक दृष्टांत 1977 RRD पृष्ठ 117 पर उदधृत किया गया है कि 'when a positive posovision of law was overlooked, it constituted a good ground of review" रिव्यू अधीन निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर द्वारा आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जारी आदेश दिनांक 20.03.2018 के विरूद्ध भी अपील सुनी जाकर उक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

नम्बर व अहकाम इस हुक्म शामिल हुए

Scanned by CamScanner

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश पर रिव्यू अधीन निर्णय दिनांक 30.12.2020 पारित कर उक्त आदेश को अपास्त किया गया है। जबकि उक्त आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है। रिव्यू अधीन निर्णय में यह भी "An error apparent on the face of record" है तथा उक्त निर्णय रिव्यू किये जाने योग्य है। न्यायिक सिद्धांत 1958 RRD 135, 2007(1) RLw RJ 533 तथा 2007 RRD 132 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :– "When question of jurisdiction is concerned it is never too late to review it and the matter can be taken up at any stage even in review" इस प्रकार रिव्यू अधीन निर्णय दिनांक 30.12.2020 पारित किये जाने से Mistake or an error apparent on the face of record स्पष्ट रूप से सिद्ध है तथा इस प्रकार के निर्णय को रिव्यु किया जाकर अपास्त किया जाना विधिक प्रावधानो के अनुकूल है। जैसा कि न्यायिक दृष्टांत RLW 2004 RJ 228, 2004 RBJ 454 तथा 2004(2) RRT 711 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "If there is an error apparent on the face of record judgement is liable to be set aside."

उपर्युक्त विवेचन से निर्णय दिनांक 30.12.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नजरसानी (Review) स्वीकार किये जाने योग्य है तथा उक्त निर्णय दिनांक 30.12.2020 अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय दिनांक 30.12.2020 विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2014 एवं दिनांक 20.03.2018 यथावत रखे जाते है। अप्रार्थीगण/अपीलांटस् विधिक प्रावधानो के अनुसार सक्षम न्यायालय में नवीन अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(शिवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner